

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारी:- जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या:- 82/2018/अपील

हरफूल पुत्र पूरणाराम जाति जाट निवासी भूमा बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
राज0

अपीलान्त

बनाम

तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट



अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 02.04.2018 अनुवानी सरकार बनाम
हरफूल मु0नं0 53/2018 द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़

वकील अपीलान्त श्री विधाधर सुण्डा

निर्णय

दिनांक:-29.11.2019

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भूमा बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर ने तहसीलदार के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि अपीलकर्ता ने ग्राम भूमा बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ की तन में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 368 बंजड़ में से 0.01 हैक्टर भूमि पर सम्वत नम्बर 2074 में अतिक्रमण कर पुख्ता आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है जिस पर रेस्पो. तहसीलदार ने अपीलकर्ता के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलकर्ता को नोटिस जारी किया गया। अपीलकर्ता नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होकर अपना जबाब नोटिस दिनांक 14.03.2018 को प्रस्तुत किया व अपीलकर्ता को आगामी कोई तारीख पेशी नहीं बताई व दिनांक 02.04.2018 को बिना साक्ष्य व इन्क्वायरी किये बिना ही दिनांक 02.04.2018 को अपीलकर्ता को उक्त भूमि से अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का आदेश दिया गया है। अपीलकर्ता गरीब मजदूर व्यक्ति है। ग्राम भूमा बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ की आबादी के सटकर भूमि खसरा नम्बर 368 अवस्थित है, जिसमे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही सैकड़ो परिवार आवासीय मकान बनाकर आबाद है। जिसके सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट ने कोई जांच नहीं की है। ग्राम पंचायत भूमा बड़ा (लक्ष्मणगढ़) ने राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अधीन तत्समय निर्मित नियमों व उपनियमों के तहत चेतनराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी भूमा बड़ा को 80 गुणा 90 फीट यानि 7200 वर्गफीट भूमि का पट्टा दिनांक 26.02.1986 को दिया गया है, जिसको दिनांक 26.01.1998 को जरिये इकरारनामा अपीलकर्ता को बेचान कर दिया। जिस पर अपीलकर्ता व उसका परिवार आबाद चला आ रहा है। अपीलकर्ता ने उक्त आवासीय भूखण्ड पर बने पुख्ता मकानात में विधुत विभाग से विधुत कनेक्शन ले रखा है व जलदाय विभाग से पानी का कनेक्शन ले रखा है। इसके बावजूद भी हल्का पटवारी ने बिना किसी आधार के गलत व मनगढन्त रिपोर्ट रेस्पो. के समक्ष प्रस्तुत की है। अपीलकर्ता ग्राम पंचायत भूमा बड़ा द्वारा प्रदत्त अधिकृत पट्टे की भूमि पर काबिज है, इसलिए अपीलकर्ता को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। विवादग्रस्त

आराजियात पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही सैकड़ों परिवार पुख्ता आवासीय मकान बनाकर आबाद है जो हमेशा में गैर मुमकीन आबादी भूमि रही है, जिसमें से ग्राम पंचायत भूमा बड़ा ने विधिवत अपीलकर्ता को प्रश्नगत भूमि का 7200 वर्गफीट का पट्टा दिया गया है। अपीलकर्ता के पास तात्कालीन ग्राम पंचायत भूमा बड़ा द्वारा दिनांक 26.02.1986 को जारी किया गया वैध पट्टा है। अपीलकर्ता प्रश्नगत भूमि पर वैध जारी पट्टे के आधार साधिकार निरन्तर काबिज है। अधीनस्थ तहसीलदार ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड, मौका की स्थिति की अनदेखी की है व आदेश जैर अपील पारित करने के पूर्व पटवारी हल्का व अन्य समक्ष अधिकारियों की कोई साक्ष्य नहीं ली। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 53/2018 में पारित आदेश दिनांक 02.04.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस के सम्बंध में अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.03.2018 को उपस्थित हुआ एवं जवाब नोटिस पेश कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को आगामी तारीख पेशी नहीं बताई गई एवं प्रकरण में दिनांक 02.04.2018 को निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की साक्ष्य नहीं ली गई एवं अतिक्रमित स्थल के बारे में जांच तक नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय में वर्णित अतिक्रमित आरायाजित के सम्बंध में चेतनराम पुत्र किशनाराम के नाम से ग्राम पंचायत भूमा बड़ा द्वारा दिनांक 26.02.86 को 7200 वर्गफुट का पट्टा जारी किया गया है जिसको दिनांक 26.01.1998 को जरिये इकरारनामा अपीलांट को बेचान कर दिया। इस प्रकार अपीलांट पट्टे शुदा भूखण्ड पर आवास निवास करता है जिस पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के दौरान न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में RLW 1995 (1) (S.C.) पेज नम्बर 117-120, RRT 2006(1) पेज नम्बर 272-273, RRD April, 2005 पेज नम्बर 221-223, RRT 2003(1) पेज नम्बर 601-603, RRD Oct. 2002 पेज नम्बर 583 से 588 आदि-आदि पेश किये। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को जारी नोटिस का अवलोकन करने पर उक्त नोटिस अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने हेतु जारी किया गया है, जबकि आदेशिका में पश्चातवर्ती अतिक्रमण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नोटिस का भलि-भांति अवलोकन किये बिना साइक्लो स्टाईल छपे-छपाये फॉर्मेट में जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका दिनांक 14.03.2018 के मुताबिक गैरसायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब आवेदन पेश करने हेतु अंकित किया हुआ है, जबकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2018 में अप्रार्थी/गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब का कोई अंकन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में ग्राम भूमा बड़ा के खसरा नम्बर 368 में से 0.01 है० किस्म बंजड़ जोहड़ की भूमि पर प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण किया जाना अंकित किया है, परन्तु अतिक्रमण किस स्थान पर किया गया है इस सम्बंध में कोई निशानदेही अंकित नहीं की गई है एवं सीमाज्ञान किये बिना ही चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर

मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के द्वारा मौके की स्थिति की जांच किए बिना ही एवं बिना सीमाज्ञान किए बिना ही बेदखल करने हेतु अपना निर्णय दिनांक 02.04.2018 पारित कर दिया एवं अतिक्रमित स्थल की भूमि का चेतनराम के नाम ग्राम पंचायत भूमा बड़ा द्वारा जारी पट्टे को जरिये इकरारनामा के अपीलांट को बेचान करने पर उक्त पट्टे का कोई अवलोकन नहीं किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मौके पर अतिक्रमण के सम्बंध में सीमाज्ञान किया जाये और सीमाज्ञान उपरान्त अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए नियमानुसार पुनः विधिवत प्रक्रिया अपनाकर निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जय प्रकाश)
29/11/19
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

